स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 47, दिनांक 30–01–2025

जनपद भदोही में दिनदहाड़े हुई प्रधानाचार्य की हत्या में वांछित रुपये 50,000 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त फरमूद गिरफ्तार।

दिनांक 30–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद भदोही में दिनदहाड़े हुई प्रधानाचार्य की हत्या के सम्बन्ध में थाना कोतवाली, जनपद भदोही में पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2024 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त फरमूद को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– फरमूद पुत्र स्व0 मासूक उर्फ़ मासूम निवासी ग्राम दानीपट्टी (प्यारे का पुरवा) थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

फनमॉल के निकट, थाना क्षेत्र गोमतीनगर, जनपद लखनऊ। दिनांक 30–01–2025 समय 19.00 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना कोतवाली, जनपद भदोही में पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2024 में वांछित रू 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त फरमूद उपरोक्त फन मॉल गोमती नगर लखनऊ के पास आने वाला है। इस सूचना पर निरीक्षक अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक राघवेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप सिंह, मु0आ0 नीरज पाण्डेय, मु0आ0 राम निवास शुक्ल, मु0आ0 सुशील सिंह, आ0 बृजेश बहादुर सिंह, आरक्षी अमित त्रिपाठी की टीम द्वारा ज्ञात स्थान पर पहुँचकर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त फरमूद ने पूछताछ पर बताया कि दिनांकः–21–10–2024 को अपने साथी आमिर, जुनैद,कलीम व सौरभ के साथ मिलकर नेशनल इण्टर कॉलेज भदोही के प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया था। सौरभ और प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह से की पूर्व से दुश्मनी थी। उसने ही अपने मित्र कलीम के माध्यम से जुनैद, आमिर व फरमूद को घटना करने के लिए 5,00,000/– रूपये दिया था। पैसा लेने के पश्चात जुनैद व आमिर के साथ मिलकर प्रधानाचार्य की करीब एक महीने तक रैकी की थी। इस घटना में अभियुक्त सौरभ, आमिर व कलीम पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके है।

अभियुक्त फरमूद का ज्ञात आपराधिक इतिहास निम्नवत है–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	250/22	307 भादवि	कोतवाली सिटी	प्रतापगढ़
2	712/21	392/411 भादवि	कोतवाली सिटी	प्रतापगढ़
3	215/24	103(1) बीएनएस	कोतवाली	भदोही

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कोतवाली, जनपद भदोही में पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2024 धारा 103(1) बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।